भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1201

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महाराष्ट्र तथा असम में मनरेगा का कार्यान्वयन

1201. श्री अविनाश पांडे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र तथा असम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक मजदूरी कार्य करने हेतु प्रत्येक वर्ष मांग के आधार पर 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन तथा ग्रामीण परिवारों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत बनाना भी इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और असम राज्यों में मनरेगा के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दर्शाई गई है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र	2010-11	2011-12	2012-13
रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	453941	1520457	1643859
रोजगार उपलब्ध किए गए परिवारों की संख्या	451169	1504521	1624237
सृजित श्रम दिवस (लाख में)	200	772.02	871.74
प्रति परिवार औसतन दिवस (संख्या)	44	51	54
100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	28240	197185	230981

असम	2010-11	2011-12	2012-13
रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	1807788	1355103	1247499
रोजगार उपलब्ध किए गए परिवारों की संख्या	1798372	1349078	1234827
सृजित श्रम दिवस (लाख में)	470.52	352.63	314.04
प्रति परिवार औसतन दिवस (संख्या)	26	26	25
100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	45490	15750	9807